

न्यायालय : उपजिलाधिकारी  
मण्डल : वाराणसी, जनपद : जौनपुर, तहसील : बदलापुर  
वाद संख्या : 00868/2019  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T201914360200868  
संजय कुमार बनाम सरकार

अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

### निर्णय

ए0बी0एस0 इंटरनेशनल स्कूल एण्ड कालेज प्रबन्धक संजय सिंह निवासी ग्राम-अमारी, पो0-महराजगंज तह0-बदलापुर, जिला-जौनपुर ने आराजी संख्या 18मि0/2, 20कमि0/2 कुल 2 गाटा 1.7570हे0 मौजा सवंसा परगना-गड़वारा, तह0-बदलापुर, जिला-जौनपुर के बावत धारा 80 रा0सं0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसील में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार बदलापुर की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 22.03.2019 नियत प्रारूप पर प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार बदलापुर ने इस आशय की जाँच आख्या प्रेषित किया है कि मौजा सवंसा परगना-गड़वारा, तह0-बदलापुर, जिला-जौनपुर में स्थित आराजी संख्या 18मि0/2, 20कमि0/2 कुल 2 गाटा 1.7570हे0 पर खतौनी अभिलेख में ए0बी0एस0 इंटरनेशनल स्कूल एण्ड कालेज जरिये प्रबन्धक प्रबन्धक संजय सिंह निवासी ग्राम-अमारी, पो0-महराजगंज तह0-बदलापुर, जिला-जौनपुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त आराजियात के 0.407हे0 रकबे पर पक्का कमरा, परती व सहन है। मौके पर जोता बोया नहीं जाता है तथा अकृषिक है। गाटा सं0 18मि0/2, 20कमि0/2 कुल 2 गाटा 1.7570हे0 गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रकरण व्यवसायिक होने के कारण प्रार्थी द्वारा सर्किल रेट के मुताबिक 1 प्रतिशत मु0 164100/- रू0 उदघोषणा शुल्क (भारतीय स्टेट बैंक शाखा बदलापुर में जमाकोष करके चालान की मूल प्रति) तथा धनराशि मु0 164100/- रू0 का न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट फी स्टैम्प पेपर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार बदलापुर/तहसीलदार बदलापुर की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 22.03.2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा सवंसा परगना-गड़वारा, तह0-बदलापुर, जिला-जौनपुर की गाटा संख्या 18मि0/2, 20कमि0/2 कुल 2 गाटा 1.7570हे0 का मालगुजारी मुताबिक 60-ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बदलापुर एवं उपनिबन्धक बदलापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

22-3-19

